

नम्बर  
अहकार  
हुक्म की  
जारी हुए

# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 92/2015

किरम प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक .....02.2020

1. प्रिया पुत्री श्री पुष्पेन्द्र कुमार आयु 2 वर्ष 5 माह निवासी ग्राम बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति संतोष कुमारी पुत्री श्री गोविन्दसिंह आयु 24 साल जाति जाटव निवासी भूतौली थाना हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 प्रार्थी/सायल

बनाम

1. परमसुख पुत्र भजनी जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
3. पुष्पेन्द्र पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
4. प्रेमराज पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
5. लोकेन्द्र पुत्र परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
6. श्यामवती पत्नि पप्पू पुत्री भजनी जाति जाटव निवासी ओल तहसील मथुरा जिला मथुरा (उ0प्र0)
7. गीता पत्नि करूआ पुत्री भजनी जाति जाटव निवासी ओल तहसील मथुरा जिला मथुरा (उ0प्र0)
8. केला पत्नि महावीर पुत्री परमसुख जाति जाटव निवासी बराखुर तहसील व जिला भरतपुर
9. पपीता पत्नि चरनसिंह पुत्री परमसुख जाति जाटव निवासी बराखुर तहसील व जिला भरतपुर
10. मारुती पुत्री परमसुख नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता स्व0 परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई
11. अर्चना पुत्री परमसुख नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता स्व0 परमसुख जाति जाटव निवासी बछामंदी ठाकुरान तहसील नदबई

अप्रार्थी/गैरसायलान

उपस्थित श्री गजेन्द्रसिंह एण्ड0

श्री फूलसिंह एण्ड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया।

यह है कि सायल द्वारा सजरा पेश है।

3. यह कि भजनी का स्वर्गवास हो गया है। भजनी की बछामदी व चक छत्तर तह0 नदबई में कृषि आराजी है। बछामदी का दाखिला खारिज हो गया है तथा चक छत्तर का दाखिला खारिज नहीं हुआ है।
4. यह कि सायल की माता संतोष कुमारी का विवाह पुष्पेन्द्र कुमार के साथ दिनांक 7-5-2009 को हुआ था। इन दोनों के सम्भोग से सायल का जन्म हुआ है। अब दिनांक 17-1-2015 को जरिए डिक्री पारिवारिक न्यायालय भरतपुर से सायल की माता पिता का विवाह विघटित हो गया है। सायल अपनी माता के साथ रह रहा है।
5. यह कि सायल का जन्म से पैत्रिक आराजी में हिस्सा है तथा अपने हिस्सा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
6. यह कि आराजी खसरा नम्बरान 25/0.06, 26/0.11, 27/0.23, 28/0.11, 36/0.13, 37/0.15, 38/0.43 कुल किता-7 क्षेत्रफल 1.22 ऐयर वाकै ग्राम चक छत्तर तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है जो कि इस समय सायल के परबाबा भजनी 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज है। दाखिला खारिज नहीं हुआ है। इस आराजी में सायल के बाबा परमसुख का भजनी के 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा है। बाबा परमसुख की दोनों बहिनों का 1/3-1/3 हिस्सा है। बाबा परमसुख के 8 पुत्र-पुत्री है। इस प्रकार बाबा परमसुख के 1/3 हिस्सा में 8 वारिसान का सायल के बाबा परमसुख सहित सभी का 1/9-1/9 हिस्सा है। इस प्रकार सायल के पिता का उक्त आराजी में उसके पिता के 1/2 हिस्सा में 1/9 हिस्सा है। इस प्रकार सायल का उक्त आराजी में उसके पिता के 1/9 हिस्सा में 1/2 हिस्सा है इस प्रकार सायल का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा हिस्सा में 1/18 हिस्सा है, तथा इसी प्रकार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
7. यह कि आराजी खसरा नम्बरान 2948/0.60, 2949/0.20 वाकै ग्राम बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर में सायल के परबाबा भजनी का 2/3 हिस्सा है तथा इसके दाखिला खारिज से सायल के बाबा परमसुख 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं एवं खसरा नम्बरान 2951/0.44, 3002/0.35, 3116/0.01, 3117/0.36 वाकै ग्राम बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर में बाबा परमसुख पूर्ण हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। तथा बाबा परमसुख के 8 पुत्र-पुत्री है। इस प्रकार बाबा परमसुख व पुत्र-पुत्री का उक्त आराजी में 1/9-1/9 हिस्सा है। सायल के पिता पुष्पेन्द्र कुमार का इस आराजी में बाबा परमसुख के हिस्सा 2/3 में 1/9 हिस्सा है। इस प्रकार सायल का अपने पिता पुष्पेन्द्र कुमार के 2/3 हिस्सा में 1/9 हिस्सा में 1/18 हिस्सा है। इस प्रकार सायल उक्त आराजी में 2/3 हिस्सा में से 1/18 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
8. यह कि आराजी खसरा नम्बरान 2951/0.44, 3002/0.35, 3116/0.01, 3117/0.36 कुल रकवा 4 क्षेत्रफल 1.16 ऐयर वाकै ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर में सायल के परबाबा भजनी खातेदार काश्तकार है तथा अब दाखिला खारिज से सायल के बाबा परमसुख खातेदार काश्तकार है। सायल के बाबा परमसुख के 8 पुत्र-पुत्री है। इस प्रकार सायल के बाबा परमसुख व बाबा परमसुख के 8 वारिस है। इस प्रकार बाबा परमसुख व 8 वारिसान में सभी का 1/9-1/9 हिस्सा है तथा सायल का 1/9 हिस्सा है। इस प्रकार

उक्त आराजी में सायल का 1/18 हिस्सा है तथा 1/18 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. यह कि दिनांक 25-04-2015 को सायल की माता संतोष कुमारी ने गैरसायलान से सायल के हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कहा तो गैरसायलान ने कि वह सायल को कुछ नहीं देंगे। अब संतोष कुमारी से तलाक हो गया है। तथा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा है। आराजी को रहन वयमुन्तकिल कर देंगे।

अंत में प्रार्थना की गैरसायलान को अस्थायीनिषेधाज्ञा से पावंद किया जावे की आराजी खसरा नं 25/0.06, 26/0.11, 27/0.23, 28/0.11, 36/0.13, 37/0.15, 38/0.43 कुल किता-7 क्षेत्रफल 1.22 ऐयर वाकै ग्राम चक छत्तर तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बरान 2948/0.60, 2949/0.20 वाके बछामंदी तहसील नदबई एव 2951/0.44, 3002/0.35, 3116/0.01, 3117/0.36 कुल रकवा 4 क्षेत्रफल 1.16 ऐयर वाकै ग्राम बछामदी को रहनवयमुन्तकिल नहीं करें मदाखलत मजाहमत नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री फूलसिंह जी एडवोकेट उपस्थित हुए शेष अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण इनका जबाब बन्द किया गया।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 वाके ग्राम पींगोरा एवं नकल जमावंदी संवत 2065-2068 वाके ग्राम बछामदी पेश की गई तथा नकल फोटो प्रति पारिवारिक न्यायालय भरतपुर हिन्दु विवाह अधिनियम प्रकरण सं. 317/2014 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम श्रीमति संतोष कुमारी पत्नि पुष्पेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक 17.01.2015 पेश की गई तथा नकल आदेशिका दिनांक 24.06.19 फोटो प्रति अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 बैर के मुकदमा सं. 69/18 उनवान प्रिया बनाम पुष्पेन्द्र पेश की गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी पेश नहीं किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. प्राईमाफेसी केस -:प्रार्थीया द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत अपने हकों के घोषणा का पेश किया गया है। उक्त वाद में प्रार्थी अपने दादा अप्रार्थी स. 1 परमसुख की पैत्रिक आराजी में प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित सजरे अनुसार हकों की घोषणा चाहती है। विवादित आराजी बावत विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रार्थीया के माता पिता का विवाह विच्छेद हो गया है , एवं प्रार्थीया अपने दादा की सम्पती में अपने हिस्से अनुसार घोषणा


चाहती है प्रार्थी की ओर से विद्वान बकील ने जबाब व बहस में कहा की प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 परमसुख के बेटे पुष्पेन्द्र से उत्पन्न संतान नहीं हैं। दूसरा चूँकि प्रार्थी की माँ का प्रार्थीया के पिता से विवाह विच्छेद हो गया है। इसलिए प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल में दादा की सम्पत्ती में हक नहीं मांग सकती हैं। तीसरा प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी सं. 1 परमसुख दादा को जब विवादित आराजी प्राप्त हुयी थी जब प्रार्थी का जन्म नहीं हुआ था। अतः अप्रार्थी सं 1 परमसुख की आराजी में प्रार्थी का कोई हक नहीं है। परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पारिवारिक न्यायालय भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2015 में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थी को अपनी संतान माना है एवं निर्णय में प्रार्थीया की मां का प्रार्थी के पिता से भरण-पोषण न लेने व चल अचल सम्पत्ती से कोई संबंध सरोकार नहीं रखने का उल्लेख है यह निर्णय प्रार्थी व अपने पिता दादा व दादी की सम्पत्ति में हक मांगने से नहीं रोकता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सायल/प्रार्थी के पक्ष में है।

2. सुविधा का सन्तुलन —: बिन्दु सं. एक के मध्यनजर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूर्ण्य क्षति —: यदि विवादित आराजी के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का बेचान किया जाता है तो नाबालिक प्रार्थी क हकों के निर्धारण में परेशानी होगी व प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा जो कि प्रार्थी (नाबालिक) के लिए अपूर्ण क्षति होगी

सत्यमेव जयते

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नं 25/0.06, 26/0.11, 27/0.23, 28/0.11, 36/0.13, 37/0.15, 38/0.43 कुल किता-7 क्षेत्रफल 1.22 ऐयर वाकै ग्राम चक छत्तर तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बरान 2948/0.60, 2949/0.20 वाके बछामंदी तहसील नदबई एव 2951/0.44, 3002/0.35, 3116/0.01, 3117/0.36 कुल रकवा 4 क्षेत्रफल 1.16 ऐयर वाकै ग्राम बछामंदी तहसील नदबई जिला भरतपुर पर विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक.....02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
(विनोद कुमार मीना R.A.S.)  
सहायक कलक्टर नदबई